प्रेस नोट - जनपद मीरजापुर

संख्याः- 38/2020 दिनांकः- 05.09.2020

दिनांकः- 20/21.08.2020 की रात्रि ग्राम बिन्दपुरवा (भडेवल) थाना जमालपुर मे हुयी मुन्नीलाल की हत्या का अनावरण

दिनांकः- 20/21.8.2020 की रात्रि थाना जमालपुर क्षेत्र के ग्राम बिन्दपुरवा (भड़ेवल) मे मुन्नीलाल उम्र करीब 55 वर्ष पुत्र गुल्लम निवासी बिन्दपुरवा (भड़ेवल) थाना जमालपुर मीरजापुर की धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दी गयी थी । मृतक अविवाहित था व अकेला रहता था। वादी राजन सिंह पुत्र भुपेन्द्र प्रताप सिंह निवासी भड़ेवल थाना जमालपुर मीरजापुर की तहरीर के आधार पर थाना जमालपुर पर मु0अ0सं0 80/2020 धारा 302 भा0द0वि0 बनाम अभियुक्त नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचना व भौतिक साक्ष्यों व पतारसी सुरागरसी से यह ज्ञात हुआ कि उक्त घटना बिहारी यादव पुत्र पारस यादव निवासी शिवनाथपुर चोरमरवां थाना बबुरी जनपद चन्दौली द्वारा अपनी पत्नी से मृतक मुन्नीलाल के अवैध संबंध के कारण की गयी थी,आज दिनांक 05.09.2020 को समय करीब 04.30 बजे भोर अभियुक्त बिहारी यादव को दैत्रावीर बाबा मन्दिर ग्राम बिन्दपुरवा से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर आला कत्ल एक अदद रक्त रंजित फावड़ा घटनास्थल के पास बास की खुटी से व घटना कारित करते वक्त अभियुक्त द्वारा पहना हुआ, खून से सना लोवर अभियुक्त के घर के कमरे में बिछौने के नीचे से बरामद किया गया ।

विवरण पूछताछ व घटना क्रमः-

घटना के संबंध में अभियुक्त बिहारीलाल से पूछताछ की गयी तो घटना कारित करने के बारे मे बताया कि मेरे घर पर गाय, भैंस पालने का कारोबार है जिसका चारा/घास काटने के लिए मेरी की पत्नी सीवान मे जाया करती थी । इसी दौरान मेरी पत्नी का सम्पर्क मुन्नीलाल बिन्द से हो गया घटना से करीब 03-04 दिन पहले मैने अपनी पत्नी को मुन्नीलाल के साथ आपत्तिजनक हालत मे देख लिया था,जिसके कारण मुन्नीलाल की हत्या करने की योजना बनायी तथा दिनांक 20/21.08.2020 के रात्रि समय करीब 01.00 - 01.30 बजे के आस – पास मै मृतक मुन्नीलाल के मड़ई पर पहुँच गया और मुन्नीलाल से बीड़ी मांग कर साथ- साथ पाने लगे उसके बाद मैने मुन्नीलाल बिन्द को हत्या करने के इरादे से पटका-पटकी कर बेहोश कर दिया और उसके बाद फावड़े से गला काट कर मुन्नीलाल की हत्या कर दी। अभियुक्त बिहारी यादव द्वारा हत्या करने की बात स्वीकार की गयी है तथा पूरा घटना क्रम बताया गया और घटना मे प्रयुक्त फावड़ा घटनास्थल के पास बास की खुटी से व घटना कारित करते वक्त अभियुक्त द्वारा पहना हुआ खून से सना लोवर अभियुक्त के घर के कमरे में बिछौने के नीचे से बरामद कराया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः

बिहारी यादव पुत्र पारस यादव निवासी शिवनाथपुर चोरमरवां थाना बबुरी जनपद चन्दौली। उम्र करीब-26 वर्ष -

गिरफ्तारी का दिनांक व समय व स्थान-

दिनांक 05.09.2020 समय 04.30 बजे , दैत्रावीर बाबा मन्दिर ग्राम बिन्दपुरवा

बरामदगी का विवरणः-

घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद रक्त रंजीत फावड़ा व घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहना हुआ लोवर खून से सना हुआ

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण

थाना जमालपुर पुलिस टीम

1-थानाध्यक्ष विजय कुमार सरोज थाना जमालपुर

2-का0 गुड्डू विन्द थाना जमालपुर

3-का0 त्रिभुवन सिंह यादव थाना जमालपुर

स्वाट / सर्विलांस टीम

1-उ0नि0 रामस्वरूप वर्मा प्रभारी स्वाट टीम

2-का0 बृजेश सिंह स्वाट टीम

3-का0 राज सिंह राणा स्वाट टीम

4-का0 राजेश यादव स्वाट टीम

5-का0 नितिल सिंह सर्विलांस टीम

नोट— घटना का अनावरण कर गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को ₹ 10000/- के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक

मीरजापुर।